अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..से...तक

जिला..., सं0.., सन् १९....................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
15-11-2014	**आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा** भूमि विवाद अपील संख्या-280/2012 जनार्दन यादव अन्य .... अपीलार्थीगण बनाम जयप्रकाश साह ....विपक्षीगण **आदेश** यह अपील, अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-249/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। वाद उभय पक्षों को सुनने के पश्चात्, 30.08.2012 को ही ग्रहण किया गया। 2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया। 3. अपीलकर्त्ता का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि विवादित भूमि खाता (पुराना) 483/ खाता (नया) 1354 खेसरा (पुराना) 1831/ खेसरा (नया) 2772 रकवा 01.308 डीसमील=06 धूर मौजा!-फूलौत थाना नं0-88 अंचल-चौसा, जिला-मधेपुरा में स्थित है। बैजनाथ साह, जगदीश साह, हरि साह एवं जय नारायण साह सभी पेसशन मेंही साह, का कुल रकवा 06 डीसमील (1कट्ठा 12 धूर) भूमि था। बैजनाथ साह अपने धर फूलौत से बाहर बसने चले गये। उसी दरभ्यान बैजनाथ साह के चार लड़कों में तीन लड़के देवनारायण साह, बमबम उर्फ राजकिशोर साह एवं विलास साह ने अपने हिस्से के 2 धूर प्रति के दर कुल-06 धूर भूमि केबाला संख्या-3962 दिनांक 27.07.2001 द्वारा अपने चचेरे भाई गौतम साह को भयमकान बिकी कर दिये। आगे चलकर गौतम साह द्वारा उपरोक्त खरीदगी की भूमि मकान सहित केबाला संख्या-4049 दिनांक 03.08.2007 द्वारा जनार्दन यादव (अपीलकर्त्ता) को बिकी कर दिया गया। इस तरह अपीलकर्त्ता दखलकार हुए एवं जमाबंदी कायम हुआ। लगान रसीद निर्गत होने लगा। वर्ष 2007 में जयप्रकाश	

साह (विपक्षी) विवादित जमीन पर अकारण झगड़ने लगे, जिसपर पुलिस केस हुआ एवं दफा दिनांक 24.04.2012 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज को विलम्ब शांत करते हुए सुनवाई कर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया, परन्तु उनके द्वारा वासगीत अधिनियम पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नही है, यह मुख्य न्यायालय के आदेश का अवमानना है।

(IV) निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गयी कि जय प्रकाश साह तथा बैजनाथ साह व हरिलाल साह, जिनके जमीन को वासगीत पर्चा द्वारा प्राप्त किया गया, उनके चाचा ही थे तथा बैजनाथ साह के एक पुत्र से उन्हे केवाला भी हासिल करना नजायज है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के नजायज बासगीत पर्चा को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

4. विपक्षी का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनको (विपक्षी) मौजा–फूलौत थाना नं0–88 खाता 1354 खेसरा 2772 रकवा 2.5 डीसमील जमीन वासगीत वाद संख्या–100/2004–05 द्वारा Bihar Priviledged peroon Home Stead Tencey Act, 1947 के प्रावधानुसार बैजनाथ साह व हरिलाल साह पिता मेंही साह (भू–स्वामी) के विरूद्ध दिनांक 18.10.2004 को वासगीत पर्चा प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। उनका (विपक्षी) पर्चाधारी रैयत के रूप में पंजी–।। कायम है, जिसका जमाबन्दी संख्या–54 है तथा मालगुजारी रसीद निर्गत निर्गत होता आ रहा है। अपीलकर्त्ता द्वारा बासगीत पर्चा रद्द करवाने संबंधी समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल वासगीत पर्चा अपील संख्या–11/2007–08 दिनांक 04.09.2007 को दाखिल किया गया एवं दिनांक 08.08.2011 को वापस ले लिया गया। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि Bihar Priviledged peroon Home Stead Tencey Act, 1947 के अन्तर्गत 01 एकड़ से कम रकवा धारक को इस कोटि में शामिल होने के कारण समाहर्त्ता द्वारा जाँच पड़ताल कर दखल खपड़ा पोश ईंट मकान को पाकर ही उनको (विपक्षी) वासगीत पर्चा निर्गत किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा इन्दिरा आवास योजना से वंचित कराने वास्ते निम्न न्यायालय में वाद संख्या 249/2011–12 एवं उसके विरूद्ध अपील दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत् है। अपीलकर्त्ता के अपील को खारिज किया जाय। 107 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही शुरू हुई। जयप्रकाश साह (विपक्षी) द्वारा दावा किया गया कि उन्हे बासगीत पर्चा वाद संख्या–100/2004–05 विवादित भूमि प्राप्त है तथा यह उनकी है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उन्हे (अपीलकर्त्ता) को बासगीत पर्चा की जानकारी होने पर उनके द्वारा समाहर्त्ता, मधेपुरा के समक्ष प्रीवेलेज परसन हाम टेनेन्सी एक्ट की धारा 21 के अन्तर्गत वाद संख्या–14/2007 दाखिल किया गया। उक्त वाद में

वर्ष 2011 तक कोई कार्रवाई नही होने पर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10389/2011 दाखिल किया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष वाद दाखिल करने का निदेश दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के समक्ष वाद संख्या–132/2012 दाखिल किया गया भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने यह कह–कर अपीलकर्त्ता के वाद को सुनने से इन्कार कर दिया कि बासगीत पर्चा के गुण–दोष पर सुनने का अधिकार उन्हें नही है। विपक्षी द्वारा भी वाद संख्या–249/2012–13 दाखिल किया गया जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज ने अपने पारित आदेश दिनांक 04.05.2012 द्वारा विपक्षी के बासगीत पर्चा को प्रभावी मानते हुऐ विपक्षी के वाद को स्वीकृत किया गया, जो सही नही है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नांकित तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) जयप्रकाश साह (विप्क्षी) यह स्वीकार करते है कि योगेन्द्र साह उनके चाचा बैजनाथ साह के पुत्र है, 02 धूर एराजी उनका हिस्सा खास खरीद किया किन्तु जब बमबम उर्फ राजकिशोर साह, विलास साह एवं देवनारायण साह ने उन्हें केबाला लिखना मंजूर नही किया तब यह जानते हुए भी कि यह जमीन गौतम साह ने बजरिए केवाला दिनांक 27.07.2001 के 06 धूर खरीद लिया है, तब बासगीत पर्चा अंचल के मिली भगत से बनवा लिया, जो गलत एवं नाजायज है। (2) भूमि विवाद निराकारण अधिनियम की धारा 03 जिन अधिनियमो पर अपना प्रभाव देती है, उसमें बिहार विप्रिविलेज परसन होम स्टीड टेनेसी एक्ट अधिनियम भी है, जिसके अनुरूप कार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। (3) माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा पारित आदेश द्रब्टव्य है।

5. निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 15.11.2014 विप्क्षी का लिखित बहस दिनांक 05.11.2014 का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10389/2011 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2012 का अवलोकन किया। उभय प्क्ष द्वारा रखे गये तथ्यों पर भी गौर किया। स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दावा है कि खतियानी रैयत बैजनाथ साह के तीन लड़को देवनारायण साह, बमबम साह उर्फ राजकिशोर साह एवं विलास साह द्वारा अपने हिस्से के 02 धूर प्रति की दर से कुल 06 धूर जमीन अपने चचेरे भाई गौतम साह को बिकी कर दिये एवं अपीलकर्त्ता जनार्दन यादव द्वारा उक्त जमीन गौतम साह से खरीदगी की

गयी जिसपर अपीलकर्त्ता दखलकार हुए एवं जमाबंदी सरकारी सरिस्ता में कायम हुआ एवं लगान रसीद निर्गत हुआ। विपक्षी उक्त जमीन पर अंचलाधिकारी चौसा से निर्गत वासगीत पर्चा दिनांक 18.10.2014 के आधार पर दावा करते हैं, जिसपर जमाबन्दी संख्या–54 कायम है तथा लगान रसीद निर्गत होता रहा है। उपरोक्त कागजातों के गहन सभीक्षोपरान्त मैं पाता हूँ कि विपक्षी द्वारा अपने लिखित जबाव के साथ प्रश्नगत् भूमि 2.5 डीसमील का बासगीत पर्चा की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अंचल कार्यालय, चौसा (मधेपुरा) से निर्गत है। आर्थिक रूप से अत्यन्त ही कमजोरवर्ग को बास के लिये बासगीत पर्चा Bihar Priviledged person Home-Stead Tenancy Act के प्रावधान के अन्तर्गत जाँच पड़ताल एवं दखल के आलोक में निर्गत किया गया है, जो विपक्षी जयप्रकाश साह को प्राप्त है। अतः अपीलकर्त्ता का यह कहना कि विपक्षी को निर्गत बासगीत पर्चा नजायज है, सही नही है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पक्षों की सुनवाई के पश्चात् प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में विपक्षी (जयप्रकाश साह) को निर्गत वासगीत पर्चा को प्रभावी मानते हुए विपक्षी के वाद को स्वीकृत किया, जिससे मैं सहमत हूँ। बहस के दौरान वासगीत पर्चा की भूमि पर स्थिति खपरैल मकान का फोटो भी प्रस्तुत किया गया जो विश्वसनीय है।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज (Set aside) किया जाता है, तथा निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है। कृपया तदनुसार सूचित करें, तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त, 6.11.14
कोशी प्रमंडल, सहरसा